



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2019/ज्येष्ठ 10, 1941

No. 331]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2019/ JYAISTHA 10, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

**सा.का.नि.395(अ).**—अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) संशोधन आदेश, 2017 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) संशोधन आदेश, 2019 कहा जाए।  
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) संशोधन आदेश, 2017 में खंड 6क के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6क हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की सीधी बिक्री के सीमित प्रयोजनार्थ-

केंद्रीय सरकार सभी उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल (बी-100) की सीधी बिक्री की अनुमति विनिर्दिष्ट मिश्रण सीमाओं और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार देती है, बशर्ते कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में दिनांक 01 मई, 2019 को प्रकाशित दिनांक

30 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संख्या पी-13039(18)/1/2018-सीसी (पी-26825) के द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन हो।”

[फा.सं. पी-11013/1/2015-वितरण]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी**—यह प्रधान आदेश दिनांक 19 दिसंबर, 2005 के सा.का.नि. 729(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद दिनांक 12 जनवरी, 2007 के संख्या सा.का.नि. 18(अ), दिनांक 01 जनवरी, 2009 संख्या सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 06 मई, 2014 संख्या सा.का.नि. 352(अ), दिनांक 10 अगस्त, 2015 संख्या सा.का.नि. 621(अ) और दिनांक 29 जून, 2017 संख्या सा.का.नि 728(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2019

**G.S.R. 395 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2017, namely:-

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2017, for clause 6A, the following clause shall be substituted, namely :-

“6A Limited purpose of direct sale of bio-diesel for blending with high speed diesel.-

The Central Government permits the direct sale of bio-diesel (B-100) for blending with high speed diesel to all consumers, in accordance with the specified blending limits and the standards specified by the Bureau of Indian Standards subject to fulfilment of guidelines issued in this regard vide Notification No. P-13039(18)/1/2018-CC (P-26825), dated 30<sup>th</sup> April, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1 dated 1<sup>st</sup> May, 2019.”.

[F. No. P-11013/1/2015-Dist.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

**Note.**-The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R.18(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2007, number G.S.R.1(E), dated the 1<sup>st</sup> January, 2009, number G.S.R. 352(E) dated the 6<sup>th</sup> May, 2014, number G.S.R. 621(E) dated the 10<sup>th</sup> August, 2015 and number G.S.R. 728(E) dated the 29<sup>th</sup> June 2017.